इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई 2018—आषाढ़ 26, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2018

क्रमांक –डी–15–45/2016/14–3: मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (आन लाईन व्यापार एवं ई–प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 32–क के साथ पठित धारा 79 की उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (छह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन के प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा या प्रबंध निदेशक द्वारा यथा निदेशित किए गए अनुसार विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

1. उक्त नियमों में, अध्याय–तीन के नियम 4 में,–

(1) उप–नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(1) नियम 3 के उप–नियम (2) के अनुसार आनलाईन व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रबंध संचालक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप–क में उक्त प्ररूप में उल्लिखित जानकारी के साथ रूपए 500/–(रूपए पांच सौ मात्र) प्रतिवर्ष की फीस के साथ आवेदन करना होगा। यदि आवेदक राज्य में किसी कृषि उपज मंडी समिति ए पी एम सी का विधिमान्य अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी है, तो प्रबंध संचालक, आनलाईन व्यापार में भाग लेने की प्रक्रिया द्वारा, उसे अनुज्ञा प्रदान करेगा।"।

"(2) आवेदक, आवेदन के साथ उसके द्वारा एक दिन में आशयित उसके अधिकतम क्रय मूल्य की, प्रतिभूति के रूप में बैंक सावधि जमा रसीद (एफ डी आर) अथवा बैंक गारंटी (प्रत्याभूति) प्रस्तुत करेगा, जो राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित और भोपाल मध्यप्रदेश में उक्त बैंक की शाखा पर मान्य और प्रस्तुति योग्य हो या जैसा कि, प्रबंध संचालक द्वारा विनिश्चित किया जाए और यह भी कि यदि आवेदक कृषि उपज मण्डी समिति का अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी है तो वह कृषि उपज मण्डी समिति में व्यापार हेतु जमा की गई प्रतिभूति का उपयोग कर सकेगा।"।

2. नियम 5 में, उप–नियम (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(क) आवेदक, पिछले तीन वर्षों से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या किसी अन्य विद्यमान प्रवर्तित विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कम्पनी होगा

और अन्य बातों के साथ–साथ राज्य कृषि विपणन बोर्ड/कृषि उपज मण्डी समिति/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में, अधिसूचित कृषि उपज की इलेक्ट्रानिक नीलामी सेवा कारोबार में हो और केवल इसी सेवा से उसका कुल टर्नओवर ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम दो करोड़ रूपए का हो, (आवेदन के साथ पिछले निकतटम दो वर्षों के अंकेक्षित तुलन पत्रक तथा लाभ और हॉनि के लेखा की स्व–प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी)।"।

(2) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(ख) आवेदक को अधिसूचित कृषि उपज के लिए ई–नीलाम प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए मान्यताप्राप्त होना चाहिए और उसने ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक कम से कम 1000 ई–नीलामियां कुल (नीलामी) जिसमें मूल्य की ऐसी सभी ई–नीलामी से रूपए 200,00,00,000/–(रूपए दो सौ करोड़) मूल्य की पूर्ण की होना चाहिए (आवेदन के साथ सम्बद्ध दस्तावेज की स्व–प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी)।"।

(3) उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(3) आवेदक, रूपए 25,00,000/– (रूपए पच्चीस लाख) मूल्य की निष्पादन प्रतिभूति, राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित और भोपाल मध्यप्रदेश की उक्त बैंक शाखा, पर मान्य और प्रस्तुत योग्य बैंक गारंटी या बैंक सावधि जमा रसीद (एफ डी आर) के रूप में प्रस्तुत करेगा। यह निष्पादन प्रतिभूति, कार्य परिचालन के एक वर्ष पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी के ई–प्लेटफार्म के माध्यम से सम्पन्न ऑन लाईन व्यापार की कम से कम पांच प्रतिशत और या न्यूनतम रूपए 50,00,000/– (रूपए पचास लाख) जो भी अधिक हो, पुनरीक्षित की जाएगी।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2018

क्र. डी-15-45-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 17 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 17th July 2018

No. D-15-45/2016/14-3: The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Online Trading and E-platform Licence) Rules, 2016, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (vi) of sub-section (2) of Section 79 read with Section 32-A of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 79 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendments will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above will be considered as directed by the State Government or the Managing Director.

DRAFT OF AMENDMENT

1. In the said rules, in CHAPTER-III in rule 4,

(1) for sub-rule (1) and (2) the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) Any person desiring to obtain Online Trading License as per sub-rule (2) of rule 3 shall have to apply to the Managing Director or the officer

authorized by him for grant of License in Form-A with the information mentioned in the said form along with a fee of Rs. 500/- (Rupees five hundred only) per annum. If the applicant is valid Licensee Trader of any APMC in the State, then the Managing Director will permit him, by making procedure to participate in Online Trading.".

"(2) The Applicant shall submit, along with application security of, value of their maximum purchase intended in one day, in the form of Bank Fixed Deposit Receipt (FDR) or Bank Guarantee drawn from a nationalized bank and presentable for honouring at the said Bank's branch in Bhopal, Madhya Pradesh or as may be decided by the Managing Director and also if the applicant is Licensee Trader of APMC, then he may use the Security, deposited into APMC for trade.".

2. in rule 5, in sub-rule (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :-

"(a) The Applicant shall be a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other existing enforced law, for the last three years, and inter-alia should be in the business of electronic auctioning services for notified agricultural produce in State Agricultural Marketing Board/APMCs/PSU and for the said service alone should have at least total turnover of Rs Two Crores during the immediate two

financial years. (Self attested copies of audited balance sheet and profit and loss account of immediate past two years to be submitted with the application).".

(2) For clause (b), the following clause shall be substituted, namely :-

"(b) The applicant shall be recognized for providing e-auctioning platform for notified agricultural produce and should have successfully completed at least 1000 e-auctions during immediate two financial years with total (auction) value of Rs. 200,00,00,000/- (Rs Two Hundred Crores) from all such e-auctions. (Self attested copies of relevant documents to be submitted with the application.".

(3) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(3) The applicant shall submit, along with application performance security of value Rs. 25,00,000/- (Rs Twenty five Lacs) in the form of Bank Guarantee drawn from a nationalized bank and presentable for honouring at the said Bank's Branch at Bhopal, Madhya Pradesh. This performance security would be revised after one year of operation to a minimum of Five percent of the total online trade accomplished through e-platform of the Licensee and of minimum Rs. 50,00,000/- (Fifty Lacs), whichever is more.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
UPENDRA NATH SHARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.